

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

क्रमांक: एसडीओ/कोर्ट/2024/96

दिनांक : 18.03.2024

क्रमांक: 13/2024

Office No: 2024/

आदेश

संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-6) विभाग राजस्थान के परिपत्र क्रमांक/प3(2)राज.6/2003 पार्ट 104 दिनांक 10.08.2016 के अनुसारण में राज्य सरकार की अधिरूचना दिनांक 17.09.1956 की धारा 131, 132 व 136 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसारण में रोही ग्राम बारी हिरायतान पटवार मण्डल सातलेरा में चल रहे प्रचलित रास्तों के प्रस्ताव तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ से प्राप्त होने पर खाता संख्या 01 में दर्ज खसरा नंबर 127/9 तादादी 0.0096 हैक्टेयर व खसरा नंबर 130/10 तादादी 0.0390 हैक्टेयर रास्ता जो एन.एच. 11 से खेत खसरा नंबर 131/10 तक जाता है। उक्त खसरा नंबर 127/9 तादादी 0.0096 हैक्टेयर व खसरा नंबर 130/10 तादादी 0.0390 हैक्टेयर में प्रचलित रास्तों को उनकी खातेदारी भूमि की किस्म परिवर्तन करते हुए गैरमुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। राजकीय भूमि पर चालू स्थायी रास्ता राजकीय खातेदारी में गैरमुमकिन के रूप में खसरा नम्बर सहित दर्ज किया जायेगा। निजी खातेदारी की भूमि में से चालू स्थायी सार्वजनिक रास्ता संबंधित खातेदार की खातेदारी में ही रहेगा परन्तु नक्शे में व जमाबंदी में अलग से खसरा नम्बर दिया जायेगा व रास्ते के रकबे सहित किस्म गैरमुमकिन रास्ता दर्ज की जायेगी। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ तदनुसार खाता संख्या 01 में दर्ज खसरा नंबर 127/9 तादादी 0.0096 हैक्टेयर व खसरा नंबर 130/10 तादादी 0.0390 हैक्टेयर रास्ता जो एन.एच.11 से खेत खसरा नंबर 131/10 तक जाता है की भूमि में प्रचलित गैरमुमकिन रास्ता को नामान्तरकरण के जरिये राजस्व रिकार्ड में लालस्याही से अंकित करें:-
नक्शा निर्णय का भाग रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

दिनांक : 18.03.2024

क्रमांक: सम/97

प्रतिलिपि:-तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ को पालानार्थ प्रेषित है।



उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

